State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in, www.seiaaup.com

To,

Shri Rajesh Jodhani,
Director,
H-95, Sector-63,
Noida, U.P.

Ref. No. 887/Parya/SEAC/2277/2014/ AD(H) Date: 07/9 August, 2015

Sub: Environmental Clearance for Environmental Clearance Of Expansion Of Group Housing Project "Galaxy North Avenue", GC-3, Gaur City, Sector-4, Noida, U.P. Regarding.

Dear Sir,

Please refer to your application/letters dated 05-05-2014, 28-08-2014, 12-01-2015, 22-01-2015 & 04-05-2015 addressed to the Secretary, State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) and Director, Directorate of Environment Govt. of UP on the subject as above. A presentation was made by the representative of the project proponent along with their consultant M/s EQMS India Pvt. Ltd. in the SEAC meeting dated 21/02/2015. The Project proponent, through documents (submitted to SEAC) and presentation made during meeting, has informed to the SEAC that:-

1. The environmental clearance is sought for Expansion of Group Housing Project "Galaxy North Avenue" at plot no. GC-3, Gaur City-1, Sector-4, Noida, U.P. M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd.
2. M/s Gaursons Hi-tech Infrastructure (P) Ltd. has taken environment clearance for development of the Project Integrated Township "Gaur City" at GH-01, Sector-4, Greater Noida, G.B.Nagar, U.P vide letter no. 470/SEAC/531/2010/AA(S)/ dated 11th January, 2011. M/s Gaursons has also obtained Consent to Establish from UPPCB for construction of the project vide letter no. F78749 C-1/N/N.O.C-686/2010/5 dated 12th January, 2011.
   - M/s Gaursons Hi-tech Infrastructure (P) Ltd. has allotted plot no GC-03 (part of plot GH-01) to M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd. for development of Group Housing Project "North Avenue-I".
   - M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd. has developed group housing "North Avenue-I" at Plot No. GC-3, Gaur City-1, Plot No.GH-01, Sector-4, Greater Noida, Uttar Pradesh. Plot area of this project is 20000 sq.m (4.942 acres). Project comprises of development of living facility (Block A-F) and allied facilities like community building, rain water harvesting facility, power supply, landscaping, roads, water supply system and waste management system. Built-up area of 72846.836 sqm is constructed at the project site till date.
   - M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd. has planned to expand the project by developing an additional Block G comprising of 225 dwelling units within the plot GC-03 to avail additional purchasable FAR of 75% with permission of GNIDA. Built-up area of the project after expansion will be 96852.071 sqm.
3. Area details of the project are as follows:

S. N.	Description	Existing Area (sq m)	Expansion Area (sq m)	Total Area (sq m)	Area Percentage (%)
1	Plot Area		20000		100%
2	Permissible Ground Coverage (@35% of plot area)		7000		--
3	Proposed Ground Coverage (@25.84% of plot area)	3922.789	1246.16	5168.949	25.84 %
4	Permissible FAR (@350% of plot		70000		--

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INI

AAI/NOC/2013/485/35714-79

Date: 23-12-2013

To

Sh. Mukesh Jodhani, Director,
D-255, Vivek Vihar,
Delhi-110092.

Subject: **No Objection Certificate for Height Clearance**

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order SO84 (E) dated 14th Jan. 2010 for safe and Regular Aircraft Operations.

1. References:

NOCID	SAFD/NORTH/B/102213/17243
Applicant Letter	NIL
AAI Reference	NIL

2. NOC Details for Height Clearance:

Applicant Name	M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd
Type of Structure	Building
Site Address	Plot No-GC-03, GH-01, Sector-4, Gaur City Greater Noida Extn., UP
Site Co-ordinates	28 36 45N – 77 26 09E and Site Plan SD-01
Site Elevation AMSL (in Mtrs.)	205.00 Mtrs.
Permissible Height above Ground Level (in Mtrs.)	90.00 Mtrs. (Ninety Decimal Zero Mts.)
Permissible Top Elevation AMSL (In Mtrs.)	295.00 Mtrs (Two Hundred Ninety five Decimal Zero Mtrs.)

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

(A) The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any sage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant; this NOC will be invalid.

(B) The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of obstruction caused by buildings and tress etc.) Rules, 1994.

(C) No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation 295.00 Mtrs (Two Hundred Ninety five Decimal Zero Mtrs.), indicated in para 2.

(D) The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

(E) The certificate is valid for a period of **5 Years** from the date of issue. If the building/structure/Chimney is not constructed & completed within the period, the applicant will be required to obtain a fresh NOC from the Designated Officer of Airports Authority of India. The date of completion of Building/structure/chimney should be intimated to this office of AAI. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of its validity period.

(F) No Light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during (after the construction of the building.

(G) The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

(H) Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part-I Section 4, available on DGCA India website : www.dgca.nic.in

(I) The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities includin the approval of building plans as this NOC for height is for the purpose of 'to ensure the safe and regula aircraft operations' and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, includin ownership of land etc.

(J) This NOC has been issued w. r. t. the Civil Airport as notified in SO 84(E). Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport.

This certificate is issued for "HEIGHT CLEARANCE ONLY" with the approval of Competent Authority fo Permissible Top Elevation **295.00 Mtrs (Two Hundred Ninety five Decimal Zero Mtrs.)** w. r. t. applican Site plan SD-01.

G.P. Singh 23-12-2013

(G.P. SINGH)
Asstt. General Manager (ATC-NOC)
For General Manager (ATM), NR

Copy to:

1. The Executive Director (ATM), AAI, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
2. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, IGI Airport, New Delhi-110037
3. The Chief Architect Town Planner, G.N.I.D.A., 169, Chitvan Estate, Sec-Gamma-II, Greater Noida-201308
4. The GM (NOC & Carto), AAI, RGB, Safdarjung Airport, N.Delhi-110003.
5. Guard File.

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांक: आर-20/जे0डी0/लखनऊ-14(गौतम)/12 दिनांक: मार्च 28 2014

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स ग्लैक्सी रियलटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0-जी0 सी0-03, गौर सिटी-1, प्लाट न0-4 सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित "टावर-जी0" ग्रुप हाऊसिंग भवन के निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 20-03-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा0स0 द्वारा अभिलेखो का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्रश्नगत भवन का भूखण्ड/प्लाट एरिया-20,000.00 वर्ग मी0 जिसमे पूर्व से ब्लाक-ए0,बी0सी0डी0ई0 एवं एफ पूर्व से स्वीकृत है तथा वर्तमान प्रस्तावित ब्लाक-जी0 का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊंचाई मी0 मे
1	टावर-जी0	बेस0, स्टिल्ट एवं 25 तल	1240.33	771.927	81.60

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में बेसमेन्ट पूर्व से प्रस्तावित है कुल कवर्ड एरिया-15,276.00 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवसीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 60 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी 24 मी0 चौड़ा रोड है जो भवन विनियमावली के मानकों के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित परिसर के सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।
बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।
सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।
डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावर जी टावर एफ से मिला हुआ है जिसके तीन ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान दर्शाया गया है।

3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित ब्लाक मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है कमशः प्रत्येक स्टेयर की चौडाई 1.5 व 1.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनको फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0, 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है जो पूर्व के टावरो हेतु निर्गत अनापत्ति मे अंकित किया गया है। जिसका आवेदक द्वारा प्रश्नोत्तरी में अंकित किया गया है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0 प्र0, लखनऊ।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जॉकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टैरिस टैंकः–ब्लाक जी की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

–वेन्टीलेशनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

14–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–हैलीपेडः– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

16–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

17–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ग्लैक्सी रियलटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0 सी0–03, गौर सिटी–1, प्लाट न0–4 सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित "टावर–जी0" ग्रुप हाऊसिंग भवन के निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र   अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स ग्लैक्सी रियलटेक प्रा0 लि0 प्लाट न0–4 सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।

M.O.C

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

F72544

संदर्भ संख्या.................. सी–1/एन0ओ0सी0–1160/2016 दिनांक 20-1-16

सेवा मे,

मै0 गैलेक्सी इण्टरनेशनल रियलटेक प्रा0लि0,
कार्पोरेट आफिस–एच–95, सेक्टर–63,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः **पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.9.2015 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एव सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणो के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) **स्थलः–** ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट **"गैलेक्सी नार्थ एवेन्यू–1"**, प्लाट सं0–जीसी–03, गौर सिटी–1, प्लाट नं0–जीएच–01, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

(ख) **उत्पादनः–** प्रस्तावित 20000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया 96852.771 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) **मुख्य कच्चे मालः–** बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः–** 312 के0एल0डी0

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः–** 1000 के0वी0ए0 के 02 डी0जी0 सेटस हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग मे परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5. मै० गैलेक्सी इण्टरनेशनल रियलटेक प्रा०लि०, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट **"गैलेक्सी नार्थ एवेन्यू–1"**, जो 20000 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्टअप एरिया 96852.771 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जाये।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 312 के०एल०डी० घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 375 के०एल०डी० क्षमता का एस०टी०पी० स्थापित किया जाये।

7. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

8. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम०एस०डब्ल्यू० रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

9. म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग / बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।

10. समस्त प्रस्तावित डी०जी० सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।

11. संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

12. संस्था नियमानुसार हरित पटि्टका का विकास करें।

13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

14. संस्था द्वारा स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से प्राप्त पर्यावरणीय क्लीयरेन्स दिनांक 07.9.2015 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा० न्यायालयों / नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों / स्वीकृतियों के अधीन होगी।

17. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

18. परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने कि परियोजना स्थल यमुना नदी फलड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा।

19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

20. Unit will put parpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effectgive and efficient control of dust emission generated during construction of the project.

21. Storage of any construction material particularly sand wil not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on sight will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.

22. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debri or construction material does not get dispered in to the air or atmosphere in any form whatsoever.

मै० गैलेक्सी इण्टरनेशनल रियलटेक प्रा०लि०, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "गैलेक्सी नार्थ एवेन्यू–1", प्लाट सं०–जीसी–03, गौर सिटी–1, प्लाट नं०–जीएच–01, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

23. The dust emission from the construction sites wil be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.

24. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind wil be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

25. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.

26. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of bilding and carrying of construction debris or construction material relatable to dust emission.

27. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.

28. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

29. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

30. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.

31. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.

32. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

33. संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं० 37111LG000116 दिनांक 04.01.2016 रू0 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.3.16 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(एस०सी० यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० एन०ओ०सी० तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)